(86)

संख्या– /xxviii-5–2011–23/2008

प्रेषक,

पीयूष सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः || नवम्बर 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में ट्रांजिस्ट हॉस्टल नईटिहरी का पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 138/XXVII-5-2008-23/2008 दिनांक 24.03.08 एवं आपके पत्र सं0–7प/1/ट्रांजिस्ट हॉस्टल /34/2007/4176 दि0 14.02.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना के अन्तर्गत ट्रांजिस्ट हॉस्टल नई टिहरी हेतु ₹ 208.11 लाख के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 186.77 लाख (एक करोड़ छियासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना हेतु पूर्व में अवमुक्त ₹ 95.00 लाख के अतिरिक्त अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 91.77 लाख (रूपये इक्यानबे लाख सतहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा, नई टिहरी को शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा एवं अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर भवन विभाग को इसी वित्तीय वर्ष में हस्तगत कर दिया जायेगा। स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की सभी शर्ते यथावत् रहेंगी एवं योजना का पुनरीक्षित आगणन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनाक 31.03.2011 में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार अनुसार किया जायेगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। 2

8– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

10– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

12– सामग्री क्रय व निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, आयोजनागत 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय 14–आवासीय भवनों की व्यवस्था 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–229(P)/XXVII(3) /2011-12 दिनांक 08 नवम्बर 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव,

संख्या-1603(1)/XXVIII-5-2011-23/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, नई टिहरी।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नई टिहरी।
8. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा, नई टिहरी।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
12. गार्ड फाईल।

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव,